न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्पट) 09/2017 (GCMS No 2017/00044)

1. लिछमा बेवा नथमल जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 18 कस्वा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
2. आनन्द कुमार पुत्र स्व. नथमल जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 18 कस्वा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
3. सुरेश कुमार पुत्र स्व. नथमल जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 18 कस्वा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।

बनाम

प्रार्थीगण

1. सुभाष कुमार माडिया (RAS) उपखण्ड अधिकारी राजगढ।
2. प्रदीप चाहर तहसीलदार राजगढ
3. राजेश कुमार पुत्र पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी ग्राम धीवास छोटा तहसील तारानगर हाल बाद सैनिक कॉलोनी वार्ड नम्बर 2 कस्वा राजगढ।
4. अजीत कुमार पुत्र पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी ग्राम धीवास छोटा तहसील तारानगर हाल बाद सैनिक कॉलोनी वार्ड नम्बर 2 कस्वा राजगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितः

1. श्री एस. एन. तिवाड़ी – अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री मेधाराम गोदारा – अभिभाषक अप्रार्थीगण नं. 1
   वकालतनामा विड्रा हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 11.08.2021
3. श्री मूलचन्द आचार्य – अभिभाषक अप्रार्थीगण नं. 2
4. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक अप्रार्थीगण नं. 3, 4

निर्णय

दिनांकः 13–09–2021

1. यह अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्पट) इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2017 की पालना नही होने बाबत पेश किया गया है।
2. प्रार्थीगण की ओर से अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्पट) पेश कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2017 की पालना नही करने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया।
3. अवमानना प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक एस.एन.तिवाड़ी ने अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्पट) पर बहस के दौरान कहा कि कृषि भूमि खसरास नम्बर 1504 तादादी 3.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1503 तादादी 11.98 हैक्टयर वाके रोही राजगढ तहसील राजगढ में स्थित है। उक्त भूमि के संबध में अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111,128 एल आर एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकरी राजगढ में प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 05.05.2016 को स्वीकार कर लिया,उक्त निर्णय दिनांक 05.05.2016 के विरूद्व श्रीमान के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गयी। इस न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 18.05.2017 को विधि सम्मत निर्णय निम्न प्रकार से प्रदान किया। अपील आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में आंशिक संशोधन कर निम्न निर्देश दिये गये थेः–

1. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, अमिन एव 2 पटवारी की टीम गठित की जावे।
2. यह मौके पर जाकर खसरा नम्बर 1504 व 1503 के बीच विवाद को ध्यान में रखते हुवे उनके पड़ौसी खसरा नम्बर क्षैत्रफल का अपने आंकलन में लेते हुवे पड़ोसी ग्राम के स्थाई संदर्भ बिन्दु का निर्धारण कर उक्त दोनो खसरो का वास्तविक सीमा निर्धारण करे।
3. उक्त कार्य मे सम्पूर्ण सतर्कता, पारदर्शिता बरती जावे।
4. उक्त कार्य हेतु गठित टीम एवं सहायक स्टाफ के द्वारा कियें गये कार्य की फीस के रूप में उनके प्रतिदिन के वेतन, यात्रा भत्ते, डी.ए. व वाहन खर्च को फीस निर्धारण में जोड़कर कुल राशि दोनो पक्षो द्वारा समान रूप से वहन की जायेगी व राजकोष में जमा कराई जावेगी।
5. उक्त कार्य राजकीय अवकाश के दिनो मे लगातार आगामी माह जून 2017 के प्रथम सप्ताह मे सप्ताहांत तक सम्पन्न कर लिया जावे।
6. यह कार्य उपखण्ड अधिकारी राजगढ के आदेश का हिस्सा समझा जावे व तहसीलदार राजगढ की देख रेख में कार्य सम्पन किया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा तस्दीक किया जाकर पुख्ता कराया जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु प्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी राजगढ के समक्ष हाजिर होकर निर्णय की पालना किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पहले तो अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र को लेने से मना कर दिया, फिर प्रार्थीगण द्वारा बार–बार निवेदन करने पर प्रार्थना पत्र ले लिया लेकिन विधि सम्मत कार्यवाही करने से मना कर दिया। अप्रार्थी सं.1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण को नुकसान पहुचाने की गरज से आपके आदेश की पालना से मना कर दिया जिससे विपक्षी को पालना रोके जाने व इस बाबत स्टे वगैरह आदेश प्राप्त करने का समय मिल सके। इस दौरान अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 के न्यायालय में अस्थाई निषेघाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेप्मट) स्वीकार कर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के खिलाफ आप के निर्णय की अवमानना किये जाने के कारण समुचित दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान करे।

5. श्री मेधाराम गोदारा एडवोकेट ने अप्रार्थी संख्या 1 सुभाष कुमार माडिया (RAS) उपखण्ड अधिकारी राजगढ की ओर से जरिये वकालतनामा उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। श्री मेधाराम गोदारा ने लिखित जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेप्मट) के तथ्य अस्वीकार है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेप्मट) प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें व विशेष हर्जा खर्चा अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण से दिलवाया जावे।

6. श्री मूलचन्द आचार्य एडवोकेट ने अप्रार्थी संख्या 2 प्रदीप चाहर तहसीलदार राजगढ की ओर से जरिये वकालतनामा उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। श्री मूलचन्द आचार्य ने लिखित जवाब में निवेदन किया कि आपके निर्णय दिनांक 18.05.2017 में तहसीलदार राजगढ पक्षकार नही रहा है तथा ना ही उक्त आदेश की कोई जानकारी रही है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 18.07.2017 को पालना हेतु निर्देशित किया गया, इससे पूर्व लिछमा वगैरह ने दिनांक 24.06.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न नही की गई थी फिर भी आदेश की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए वांछित कार्यवाही शुरू कर दी गई। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेप्मट) के तथ्य अस्वीकार है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेप्मट) खारिज फरमाया जावें

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अभिभाषक श्री बालकिशन शर्मा ने बहस के दौरान कहा कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.05.2017 के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश हुई जिसमे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 01.08.2018 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। राजस्व मण्डल में उक्त अपील में स्वीकार हो जाने पर इसकी पालना बाबत कोई अवमानना (कन्टेप्मट) नही बनता हैं। यह कहते हुवे अप्रार्थी सं. 3 व 4 के अभिभाषक ने राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनाक 01.08.2018 की फोटो प्रति पेश कर प्रार्थीगण का अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेप्मट) खारिज करने का निवेदन किया।

8. श्री मेधाराम गोदारा एडवोकेट ने दिनांक 11.08.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी सं 1 की ओर से अपना वकालतनामा विड्रा करने का निवेदन किया। श्री मेधाराम गोदारा एडवोकेट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस /जवाब पर एवं उपलब्ध दस्तावेजात, का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अदालतवाला के निर्णय दिनांक 18.05.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 05.05.2016 में आशिक संशोधन करते हुए निर्देश दिये गये। उक्त निर्णय में उपखण्ड अधिकारी राजगढ एवं तहसीलदार राजगढ पक्षकार नही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थन पत्र में अंकित किया है कि निर्णय दिनांक 18.05.2017 की पालना हेतु दिनांक 23.05.2017 को आदेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ के समक्ष प्रस्तुत किया । दिनांक 31.05.2017 को खं. नं. 1504 के सम्बन्ध में प्र. सं. 220/2017 राजेश कुमार बनाम लिछमा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा यथास्थिति आदेश पारित किये, इसके अतिरिक्त अदालतवाला के निर्णय दिनांक 18.05.2017 के विरूद्व अपील सं. 4412/2017 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे दायर हुई जिसमें दिनांक 24.07.2017 को निर्णय दिनांक 18.05.2017 की पालना आगामी नियत तिथि तक स्थगित करने के आदेश दिये गये एवं दिनांक 01.08.2018 को अपील आंशिक स्वीकार करते हुए निर्णित भी हो चुकी है।

इस प्रकार अदालतवाला के निर्णय दिनांक 18.05.2017 की पालना हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2017 के सम्बन्ध मे अधीनस्थ कार्मिको के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

राजस्व शिविरो में व्यस्त होने तथा मौके पर फसल होने के आधार पर आदेश प्रसारित नही करने का कथन जो कि अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब मे अंकित किया गया, के अलावा खं. नं. 1504 के सम्बन्ध मे उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा दिनांक 31.05.2017 को पारित स्थगन जो कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया जो अपील योग्य है अतः अदालतवाला के निर्णय दिनांक 18.05.2017 जिसमे पालना करने की कोई समय सीमा निर्धारित नही थी ना ही अप्रार्थीगणो को निर्देशित किया गया था ऐसी स्थिति में निर्णय की पालना में कोई अत्यधिक या स्वेच्छिक विलम्ब होना प्रमाणित नही होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्पट) सारहीन होने के अधार पर खारिज किया जाता है।

तदनुसार अवमानना प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। निर्णय आज दिनांक 13–09–2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर